बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 19/05/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–132/2023–1661/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14708/2022 लाखो कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–20.06.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–20.06.2003 को न्यायादेश पारित की गई, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"…. 8. In the interest of justice, considering the specific prayer of the petitioner that a liberty be given to him to file a detailed representation before the Director, Primary Education, the petitioner, if so advised, may file a detailed representation bringing on record all the evidences in support of his claim for being considered under Old Pension Scheme before the Director, Primary Education.

9. The Director, Primary Education, Bihar is directed to consider the representation of the petitioner in accordance with law and pass a reasoned order based on the evidences available on record as well as the law settled by this. Court within a period of six weeks from the date of filing of the representation.

10. Accordingly, the writ petition stands disposed of…."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता ने अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन को निष्पादित करने हेतु वादी को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक–07.04.2025 तथा दिनांक–27.04.2026 को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया । जिसमें वादी उपस्थित होकर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। जिसे विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि वर्ष 1977 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से प्रथमा (समकक्ष प्रवेशिकोतीर्ण) परीक्षा उत्तीर्ण होकर वर्ष 1980 में राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मधेपुरा से द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। कोशी प्रमण्डल के विभिन्न जिलों के सत्र 1980 प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों की पैनल लिस्ट वर्ष 1983 में तैयार किया गया, जिसमें मेरी नाम क्रमांक–25/44 पर अंकित था। तदोपरान्त उक्त तैयार पैनल लिस्ट के आधार पर ही तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षकों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता था, परन्तु लंबी अवधि तक नियुक्ति पत्र अप्राप्त रहने के कारण वर्ष 2000 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या–1732/2000 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–01.07.2005 को पारित

न्यायादेश के आलोक में दिनांक–19.12.2005 को मध्य विद्यालय, सहरसा (पश्चिम) में मैट्रिक प्रशिक्षित सहायक शिक्षिका के पद पर नियुक्ति की गयी।

5. याचिकाकर्त्ता का दावा है कि मेरे से कनीय वर्ष 1983 मैट्रिक प्रशिक्षित (महिला) की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 23 पर अंकित श्रीमती मंजू कुमारी की नियुक्ति याचिका संख्या 129/1996 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में हुई तथा इन्हें पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किया गया है। अतएव मुझे भी पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किया जाय।

6. वर्ष 1980 की प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 25 पर अंकित नाम श्रीमती लाखो कुमारी की योग्यता–प्रथमा प्रयाग से सत्यापन योग्य रहने के कारण नियुक्ति नहीं की गयी थी। श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या–1732/2000 में दिनांक–01.07.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–2128 दिनांक–02.12.2005 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, सहरसा को श्रीमती लाखो कुमारी की नियुक्ति करने हेतु निदेश दिया गया । जिला शिक्षा अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक–2060–11(नि0) दिनांक–17.12.2005 के द्वारा श्रीमती लाखो कुमारी की नियुक्ति मध्य विद्यालय, सहरसा (पश्चिम) में मैट्रिक प्रशिक्षित सहायक शिक्षिका के पद पर की गयी।

7. विदित हो कि नियुक्ति पर निर्णय लेने के क्रम में श्रीमती कुमारी और श्रीमती मंजू कुमारी के अंतर वरीयता का परीक्षण नही किया गया था, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश यह था कि यदि वादी (श्रीमती लाखो कुमारी) से वरीयता में कनीय श्रीमती मंजू कुमारी की नियुक्ति की गयी है, तो वादी की नियुक्ति की जाय। चूकि लाखो कुमारी की नियुक्ति के क्रम में इनकी वरीयता का परीक्षण श्रीमती मंजू कुमारी के सापेक्ष नहीं किया गया तथा श्रीमती मंजू कुमारी, सहायक शिक्षिका की नियुक्ति प्रतीक्षा सूची 1983 के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–129/1996 में पारित आदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, सहरसा के आदेश ज्ञापांक–2047–09 दिनांक–30.12.1998 द्वारा मध्य विद्यालय, कोपरिया, सलखुआ में की गयी थी। चूकि श्रीमती मंजू कुमारी की नियुक्ति दिनांक–01.09.2005 से पूर्व होने के कारण पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है।

8. पैनल की वैधता सामान्यतः एक वर्ष की होती है। श्रीमती लाखो कुमारी की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के पृष्ठभूमि में विशेष परिस्थिति में की गयी थी। इस दौरान नियुक्ति के लिए नई नियमावली यथा बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 1991 यथा समय–समय पर यथा संशोधित नियमावली 1994 अधिसूचित हो गया था। जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी ऐसे में पूर्व के पैनल के आधार पर इनका दावा अनुमान्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

इस अभिमत के साथ उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / 07 / मु0–01–132 / 2023.....1661..... पटना, दिनांक .....19/05/26...

प्रतिलिपिः– Lakho Kumari, Wife of Sudhakar Thakur, Resident of Mohalla- Krishna Nagar, Batraha, P.S.- Saharsa, District- Saharsa. को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–132 / 2023.....1661..... पटना, दिनांक .....19/05/26.....

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–132 / 2023.....1661..... पटना, दिनांक .....19/05/26.....

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।